न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 86 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कलाराम पुत्र गजाराम जाति कलबी निवासी रामपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/12/17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23 / 2010 कलाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि मौजा रामपुरा तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 336 रकबा 0.85 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलाण्ट के पिता गजा पुत्र अगराजी का कब्जा काश्त था, जिसमें साक्ष्य स्वरूप गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 की पेश की है। इसके पश्चात गिरदावरी में 2041 से 2044 में गजा के देहान्त के बाद गोदा पुत्र गजा का नाम दर्ज है। द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 236 में सम्वत् 2046 से अन्त तक खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट ने रेकर्ड एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए नियमन की सिफारिश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नही किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन किए बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से तनकियात को विनिश्चय नही किया हैं, जबकि प्रत्येक तनकी को पृथक से विनिश्चित किया जाना आज्ञापक है। जिस दिनांक को अपील निर्णय पारित किया गया है, उस दिनांक को पत्रावली फैसले में नियत न होकर शहादत में नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने, जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील निर्णय पारित किया है, जिसे किसी भी रूप में विधि सम्मत नही कहा जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1283 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर मौजा रामपुरा के खसरा नम्बर 336 रकबा 0.8500 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने तथा प्रतिवादी को स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 29.11.2012 को प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी में पत्रावली नियत की गई। इसके पश्चात प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.02.2015 को प्रतिवादी का जवाब रेकर्ड पर लिया गया तथा दिनांक 29.05.2015 को तनकीयात कायम की गई। हस्तगत प्रकरण में वादी को अपना वाद साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, जिसके तहत वादी ने वादस्थ भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये। प्रतिवादी द्वारा किसी गवाह को परीक्षित करवाये बिना, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को निस्तारण करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प डूंगरी में अपीलाण्ट की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया है। आर0आर0डी0 2015 (2) पेज 1283 रामचन्द्र बनाम रामनिवास में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान की पालना किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उसमें प्रथम तनकी यह थी कि "आया वादी मौजा रामपुरा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 336 रकबा 0.8500 हैक्अेयर किस्म बारानी सोयम की प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी का विनिश्चय अन्य तनकीयात को प्रभावित करता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तनकी को साबित करने हेतु वादी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन साक्ष्यों का विवेचन करते हुए अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया तथा वाद को खारिज किया। जैसा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पर प्रकरण में कायम अन्य समस्त तनकीयात प्रभावित होती थी तथा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में नही होने के कारण स्वाभाविक रूप से अन्य तनकीयात भी वादी के विरूद्ध निर्णित मानते हुए वाद को खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपना लगातार कब्जा साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इस प्रकार जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की ज़ाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2010 कलाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
कैम्प जालोर